

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

[सं० 237] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 1980/ज्येष्ठ 19, 1902
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 1980/JAYAISTHA 19, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 9 जून, 1980

का०आ० 392(अ).—केन्द्रीय सरकार, लक्ष्मी रतन एण्ड एथरटन-वेस्ट काटन मिल्स
(प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1976 (1976 का 98) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा
प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उससे उपाबद्ध अनुसूची में ऐसे अपवादों, निर्बन्धनों और परि-
सीमाओं को बिलिखित करती है, जिन के अधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956, (1956
का 1) लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड और एथरटन वेस्ट काटन कम्पनी लिमिटेड
को उसी रीति से, जैसे वह उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व लागू था, लागू होता रहेगा।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध	अपवाद, निबन्धन और परिसीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तंभ (1) में उल्लिखित उपबंध उपर्युक्त को लागू होंगे।
धारा 293(1)(घ)	इस उपधारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपकरणों को लागू नहीं होंगे।

[फा० सं० 10/3/75-सी०एस०एम०]

बी० के० जुत्सी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Textile)

New Delhi, the 9th June, 1980

S.O. 392(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking over of management) Act, 1976 (98 of 1976), the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the Laxmirattan Cotton Mills Company Limited and the Atherton West and Company Limited in the same manner as it applied thereto before the commencement of the said Act.

THE SCHEDULE

Provision of the companies Act, 1956,	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
Section 293(1)(d)	Provisions of this sub-section shall not apply to the said industrial undertakings

[F. No. 10/3/75-CSM]

B. K. ZUTSHI, Joint Secy.